3749
30.5.18

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय : **अखिल भारतीय सेवायें (गोपनीय पंजियाँ), नियमावली, 1970 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के कार्यों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकारों का निर्धारण।**

अखिल भारतीय सेवा (गोपनीय पंजियाँ) नियमावली, 1970 के नियम–3(2) में निहित प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संकल्प ज्ञापांक–2306 दिनांक 08.05.2007 के द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत भा.प्र.से. के सदस्यों के कार्यों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकारों का निर्धारण, अभ्युक्ति अभिलेखन की प्रक्रिया एवं अभ्युक्ति अभिलेखन हेतु समय–सीमा का निर्धारण किया गया है जिसमें संशोधन करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की Performance Appraisal Report अभिलेखन हेतु प्राधिकार का निर्धारण एवं अभिलेखन की प्रक्रिया निम्नवत की जाती है :–

(i) अखिल भारतीय सेवा (गोपनीय पंजियाँ) नियमावली, 1970 के नियम–3(2) में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत भा.प्र.से. के पदाधिकारियों का Annual Performance Appraisal Report संलेख के साथ संलग्न परिशिष्ट–'क' के स्तम्भ–3, 4 एवं 5 के अनुसार निर्धारित प्राधिकार द्वारा अभिलिखित किया जायेगा।

(ii) भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा पदाधिकारियों का PAR निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन जेनरेट किया जायेगा अथवा भारत सरकार के नये प्रावधान के अनुसार पदाधिकारी स्वयं अपना PAR निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन जेनरेट करेंगे। PAR संलग्न परिशिष्ट–'क' के Flow के अनुसार जेनरेट किया जायेगा।

(iii) PAR ऑनलाईन जेनरेट होने के पश्चात् सेवा के पदाधिकारी अपना स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन जमा करेंगे।

(iv) स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रतिवेदक प्राधिकार के पास जाएगा जो निर्धरित तिथि तक अपनी अभ्युक्ति अंकित करेंगे, जिसके पश्चात यह ऑनलाईन समीक्षी प्राधिकार के समक्ष अग्रसारित होगा। समीक्षी प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि तक अपनी अभ्युक्ति अंकित कर स्वीकरण प्राधिकार के समक्ष ऑनलाईन अग्रसारित किया जायेगा। स्वीकरण प्राधिकार द्वारा भी निर्धारित तिथि तक अपनी अभ्युक्ति ऑनलाईन अंकित की जायेगी।

(v) प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार यदि राजनीतिक प्राधिकार – यथा माननीय मंत्री/माननीय मुख्यमंत्री आदि हैं तो उनकी अभ्युक्ति ऑफलाईन भी अभिलिखित करायी जा सकती है जिसे अपलोड किया जायेगा।

(vi) सेवा के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति आदि की स्थिति में खण्ड अवधि की अभ्युक्ति अभिलिखित करायी जायेगी।

(vii) सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप एक माह तक सम्बन्धित प्राधिकार अभ्युक्ति अंकित करने हेतु सक्षम होंगे।

(viii) प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार द्वारा सेवा के किसी पदाधिकारी के तीन माह से अधिक अवधि तक के लिए धारित पदों के कार्यों के सम्बन्ध में ही मूल्यांकन अभ्युक्ति अंकित किया जायेगा।

(ix) तीन माह से कम कार्यावधि के लिए No Report Certificate निर्गत किया जायेगा।

(x) स्थानान्तरण के फलस्वरूप एक वित्तीय वर्ष में पदाधिकारी एक से अधिक पदों पर कार्यरत होते हैं, ऐसी स्थिति में तीन माह से अधिक अवधि तक के लिए धारित पदों के कार्यों के सम्बन्ध में अलग–अलग स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

(xi) भारत सरकार द्वारा निर्धारित शिड्यूल तथा समय–समय पर संशोधित शिड्यूल के अनुरूप PAR जेनरेट करना, स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन लिखना, प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार द्वारा अभ्युक्ति अंकित करना अपेक्षित है। निर्धारित समय–सीमा की विवरणी परिशिष्ट 'ख' में संलग्न है। यह समय–सीमा भारत सरकार द्वारा संशोधित किये जाने पर तदनुरूप संशोधित माना जायेगा।

(xii) पूर्ण Performance Appraisal Report पर मंतव्य प्राप्ति के क्रम में प्रतिकूल टिप्पणियों/ग्रेडिंग आदि के विरूद्ध यदि सेवा के पदाधिकारी अपनी आपत्तियाँ दर्ज करायेंगे तब उनपर कार्रवाई भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जायेगी।

(xiii) PAR अभिलेखन से सम्बन्धित सभी बिन्दु भारत सरकार के नियमों/प्रावधानों के अनुरूप दिशा–निदेशित होंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को परिशिष्ट सहित झारखण्ड ई–गजट में प्रकाशित किया जाय।

विश्वासभाजन

30/5/18

(के0के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–1/सी0आर0–702/2017 का॰–3749/राँची, दिनांक 30.5.18

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची/संस्थापन पदाधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, झारखण्ड/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट–क

क्र.सं.	प्रतिवेदी पदाधिकारी या उनका पद	प्रतिवेदक प्राधिकार का पदनाम	समीक्षी प्राधिकार का पदनाम	स्वीकरण प्राधिकार का पदनाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य सचिव	मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री	
2	स्थिर वेतनमान में पदस्थापित पदाधिकारी	मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री	
3	अधिसमय वेतनमान से ऊपर वाले पद पर पदस्थापित पदाधिकारी	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	मुख्य मंत्री	
4	लोक उद्यम ब्यूरो के अधीन लोक उपक्रमों में पदस्थापित पदाधिकारी	अध्यक्ष लोक उद्यम ब्यूरो/विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	मुख्य मंत्री	अगर पदाधिकारी अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो से वरीय हो तो मुख्य सचिव प्रतिवेदक एवं समीक्षी प्राधिकार होंगे।
5	लोक उद्यम ब्यूरो के अधीन लोक उपक्रमों में पदस्थापित सुपर टाईम स्केल के पदाधिकारी	अध्यक्ष लोक उद्यम ब्यूरो/विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री/मुख्य मंत्री	
6	लोक उद्यम ब्यूरो के अधीन लोक उपक्रम में पदस्थापित कनीय/वरीय/प्रवर कोटि के वेतनमान में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रबन्ध निदेशक/सी.एम.डी.	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	अध्यक्ष लोक उद्यम ब्यूरो/विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	
7	प्रमण्डलीय आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्षद	मुख्य सचिव	मुख्य मंत्री	
8	अधिसमय वेतनमान में पदस्थापित पदाधिकारी जो ऐसे पद पर पदस्थापित हों, जिनका संबंध साधन से हो, जैसे–राजस्व एवं भूमि सुधार, उत्पाद एवं मद्य निषेध, खान एवं भूतत्व, वाणिज्यकर, परिवहन, निबंधन	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	मुख्य मंत्री	

1	2	3	4	5	6
9	अधिसमय वेतनमान वाले पद पर पदस्थापित पदाधिकारी जो ऐसे पद पर पदस्थापित हों, जिनका विकास से संबंध हो जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, योजना एवं विकास, उद्योग, श्रम एवं नियोजन, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी, कल्याण, समाज कल्याण, नगर विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता, पथ निर्माण, भवन निर्माण, कृषि एवं गन्ना विकास, सहकारिता, पशुपालन एवं मत्स्य, जल संसाधन, उर्जा, वन एवं पर्यावरण, पर्यटन, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, आवास, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग।	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री/मुख्य मंत्री	
10	अपर सदस्य, राजस्व पर्षद	सदस्य, राजस्व पर्षद	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री	
11	अधिसमय वेतनमान वाले पद पर पदस्थापित पदाधिकारी जो ऐसे पद पर पदस्थापित हों, जिनका साधन या विकास से संबंध नहीं हो यथा नियामक विभाग जैसे :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, वित्त विभाग, गृह एवं कारा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय, सहाय्य एवं पुनर्वास, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति, सूचना एवं जनसम्पर्क, विधि विभाग, स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली, निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	मुख्य मंत्री	
12	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन)	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	
13	अपर/विशेष मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	
14	राज्यपाल के प्रधान सचिव	राज्यपाल	राज्यपाल	राज्यपाल	
15	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	मुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री	

1	2	3	4	5	6
16	परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना	विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	प्रतिवेदक प्राधिकार विकास आयुंक्त के स्थान पर विभागीय सचिव को, विकास आयुक्त को समीक्षी प्राधिकार एवं स्वीकरण प्राधिकार अध्यक्ष के स्थान पर मुख्य सचिव किया जा रहा है।
17	निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.)	प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास विभाग	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	
18	उत्पाद आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्षद	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	
19	अपर आयुक्त, ऐसे विभाग में पदस्थापित हों जिनका संबंध विकास से नहीं हो	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	
20	अपर आयुक्त, ऐसे विभाग में पदस्थापित जिनका संबंध विकास से हो	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव	विकास आयुक्त	प्रभारी मंत्री	
21	वाणिज्यकर आयुक्त	विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	
22	अपर निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान	निदेशक/महानिदेशक	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	
23	निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, रांची	महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	यदि महानिदेशक का पद रिक्त हो तो मुख्य सचिव प्रतिवेदक एवं समीक्षी प्राधिकार होंगे।
24	अध्यक्ष, झारखण्ड इन्टरमिडियेट शिक्षा परिषद/प्रशासक झारखण्ड स्कुल (विद्यालय) परीक्षा बोर्ड/नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद	विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	
25	विभागाध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	
26	उपायुक्त	प्रमंडलीय आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्षद	मुख्य सचिव	

1	2	3	4	5	6
27	अधिसमय वेतनमान के नीचे वेतनमान के पदाधिकारी जो वैसे विभाग में पदस्थापित हों, जिनका संबंध साधन से हो	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	
28	अधिसमय वेतनमान के नीचे वेतनमान के पदाधिकारी जो वैसे विभाग में पदस्थापित हों, जिनका संबंध विकास से हो	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव	विकास आयुक्त	प्रभारी मंत्री	
29	अधिसमय वेतनमान के नीचे वेतनमान के पदाधिकारी जो वैसे विभाग में पदस्थापित हों, जिनका संबंध साधन या विकास से नहीं हो	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	
30	उप विकास आयुक्त	उपायुक्त	प्रमंडलीय आयुक्त	मुख्य सचिव	
31	अनुमंडलाधिकारी	उपायुक्त	प्रमंडलीय आयुक्त	मुख्य सचिव	
32	सहायक दंडाधिकारी–सह–सहायक समाहर्त्ता (परीक्ष्यमान पदा0)	उपायुक्त	प्रमंडलीय आयुक्त	मुख्य सचिव	
33	उपाध्यक्ष, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	
34	नगर आयुक्त, नगर निगम	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	प्रशासक नगर निगम के स्थान पर नगर आयुक्त पदनाम
35	प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	
36	प्रबंध निदेशक, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	
37	प्रबंध निदेशक, पर्यटन विकास निगम	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	
38	प्रबंधन निदेशक, अनुसूचित जाति/ जन जाति/ अल्पसंख्यक सहकारिता विकास निगम	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक विकास निगम को जोड़ा गया।
39	परियोजना निदेशक, इफाड (कल्याण विभाग)	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	

3/2001 Kailash

1	2	3	4	5	6
40	सचिव, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	मुख्य सचिव	
41	प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य विद्युत उत्पादन/संचरण/वितरण निगम	अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	मुख्य सचिव	नया प्रावधान
42	अधिसमय वेतनमान में पदस्थापित पदाधिकारी जो ऐसे विभाग में पदस्थापित हों जहाँ उनसे वरीय प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी भी पदस्थापित हों और जिनका सम्बन्ध साधन से हो जैसे–राजस्व एवं भूमि सुधार, उत्पाद एवं मद्य निषेध, खान एवं भूतत्व, वाणिज्यकर, परिवहन, निबंधन	प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री/ मुख्य मंत्री	नया प्रावधान
43	अधिसमय वेतनमान में पदस्थापित पदाधिकारी जो ऐसे विभाग में पदस्थापित हों जहाँ उनसे वरीय प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी भी पदस्थापित हों और जिनका सम्बन्ध विकास से हो जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, योजना एवं विकास, उद्योग, श्रम एवं नियोजन, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी, कल्याण, समाज कल्याण, नगर विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता, पथ निर्माण, भवन निर्माण, कृषि एवं गन्ना विकास, सहकारिता, पशुपालन एवं मत्स्य, जल संसाधन, उर्जा, वन एवं पर्यावरण, पर्यटन, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, आवास, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग।	प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव	विकास आयुक्त	प्रभारी मंत्री/ मुख्य मंत्री	नया प्रावधान

1	2	3	4	5	6
44	अधिसमय वेतनमान में पदस्थापित पदाधिकारी जो ऐसे विभाग में पदस्थापित हों जहाँ उनसे वरीय प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी भी पदस्थापित हों और जिनका सम्बन्ध साधन या विकास से नहीं हो यथा नियामक विभाग जैसे :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, वित्त विभाग, गृह एवं कारा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय, सहाय्य एवं पुनर्वास, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति, सूचना एवं जनसम्पर्क, विधि विभाग, स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली, निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान	प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री/ मुख्य मंत्री	नया प्रावधान

परिशिष्ट–'ख'
(समय–सीमा का निर्धारण)

क्र0	PAR जेनरेट करने की अवधि	वर्तमान वर्ष के स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन	प्रतिवेदक प्राधिकार	समीक्षी प्राधिकार	स्वीकरण प्राधिकार	मंतव्य हेतु पदाधिकारी को भेजना	पूर्णता की अवधि	रिप्रजेन्ट करने एवं रेफरल बोर्ड में मामले को रखने की स्थिति में
1	अधिसमय वेतनमान से नीचे के पदाधिकारी	30 अप्रैल	31 मई	30 जून	31 जुलाई	15 अगस्त	31 दिसम्बर	31 मार्च
2	अधिसमय वेतनमान एवं उससे ऊपर के पदाधिकारी	31 मई	30 जून	31 जुलाई	31 अगस्त	15 सितम्बर	31 दिसम्बर	31 मार्च

नोट – यह समय–सीमा भारत सरकार द्वारा संशोधित किए जाने पर तदनुरूप संशोधित माना जायेगा।